

कार्यालय केंद्रीय नजारत,जनपद न्यायालय आजमगढ ।

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिये जनपद न्यायालय आजमगढ की भूमि पर स्थित निम्नलिखित दुकानों, फोटोस्टेट एवं साइकिल स्टैण्ड की नीलामी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित नीलामी समिति की उपस्थिति एवं निर्देशन में दिनांक 16.03.2021 को अपरान्ह 01.30 बजे से जनपद न्यायालय आजमगढ के नवीन भवन के "हॉल ऑफ जस्टिस" में सम्पन्न किया जायेगा । अधिक जानकारी के लिए जनपद न्यायालय आजमगढ की वेब साईट [azamgarh.nic.in](http://azamgarh.nic.in) पर देखा जा सकता है ।

इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि ,समय एवं स्थान पर नीलामी में भाग लेने हेतु उपस्थित हों ।

नीलाम होने वाली दुकानों का विवरण :-

क्रम सं०	दुकान स्टैण्ड का नाम	संख्या
01	चाय मीठा की दुकान	13
02	बुक स्टॉल	01
03	स्टेशनरी	02
04	फोटोस्टेट	03
05	साइकिल स्टैण्ड	01
06	टेला	06
07	पान (धूमपान रहित)	09
08	काफी हाउस	01
09	सैलून	01
10	साइकिल मरम्मत	01
11	कम्प्यूटर फोटो	01
12	पराग डेरी	01
13	नारियल पानी	01
योग		41

नीलामी की शर्तें निम्नलिखित हैं :-

- 1- यह ठेका दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक के लिये वैध होगा ।
- 2- जिस ठेकेदार के यहाँ ठेके से सम्बन्धित धनराशि बकाया है उसको या उसके परिवार के सदस्यों को या प्रतिनिधि को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा । यदि किसी प्रकार वह व्यक्ति ठेका प्राप्त भी कर लेता है तो इसकी जानकारी होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और उक्त दुकान की पुनः बोली करा दी जायेगी ।
- 3- नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को बोली बोलने हेतु पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित होना होगा । सरकारी बोली (विगत वित्तीय वर्ष की बोली की धनराशि पर 10 प्रतिशत जोड़ कर ) की 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में जमा करना होगा । बोली कर्ता को जमानत धनराशि जमा करने के उपरान्त ही बोली बोलने का अधिकार होगा ।
- 4- जिस दुकान के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत की जायेगी उस दुकान की ठेका की 40 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि को 20-20 प्रतिशत की तीन त्रैयमासिक किश्तों (प्रथम किश्त जून 2021, द्वितीय किश्त सितम्बर 2021 तथा तृतीय किश्त दिसम्बर 2021 तक ) में जमा करना होगा । इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और पुनः नीलामी करा दिया जायेगा ।
- 5- जिस ठेकेदार के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी वह व्यक्ति अपनी दुकान स्वयं चलायेगा । अपने किसी रिश्तेदार,सगे सम्बन्धी या किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करेगा । उपर्युक्त बातों की जानकारी किसी प्रकार होने पर दुकान का ठेका निरस्त करके जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी और पुनः नीलामी करा दी जायेगी ।
- 6- नीलामी में सबसे ऊँची बोली बोलने वाले के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं०- 24 दिनांकित 18.12.1950 के अनुसार माननीय

जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये सबसे ऊँची बोली को निरस्त कर दें तथा किसी भी बोली को स्वीकृत कर लें ।

7- जिस व्यक्ति के नाम ठेका होगा उसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र सं०- 31/एस दिनांकित 16.03.1988 में दी गयी शर्तों के अनुसार दुकानदार को बोली के पश्चात् रू० 100-00 का स्टैम्प लेकर आना होगा और अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा ।

8- ठेकेदार को अपने दुकान के आस-पास की सफाई स्वयं करनी होगी । माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र सं०- 139 दिनांकित 18.03.1979 के अनुसार प्रत्येक सामानों की दर सूची प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा सत्यापित कराकर ऐसे स्थान पर लगायी जायेगी जहाँ से प्रत्येक ग्राहक आसानी से देख सके ।

9- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वयं अथवा किसी व्यक्ति को अधिकृत करके खाद्य पदार्थों की दुकानों का हर प्रकार से निरीक्षण कर सकें ।

10- जितनी भूमि दुकान करने हेतु दी जायेगी उसी में दुकान करना होगा ।

11- उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी व्यक्ति के दुकान का ठेका निरस्त कर दें या पुनः नीलामी करा दें और शासकीय नुकसान की वसूली उसके द्वारा या उसके सम्पत्ति से करा दें ।

भवदीय,

/

(रविश कुमार अत्री)

प्रभारी अधिकारी नजारत/

प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कोर्ट सं०-3, आजमगढ़ ।


दिनांक : फरवरी, 2021

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित :-**

- 1- नाजिर, कलेक्ट्रेट आजमगढ़ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 2- कार्यालय अधीक्षक नगर पालिका परिषद आजमगढ़ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 3- कार्यालय अधीक्षक पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 4- कार्यालय अधीक्षक मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 5- स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ हेतु ।
- 6- जिला सूचना अधिकारी आजमगढ़ को सभी समाचार पत्रों में प्रकाशन कराने हेतु ।
- 7- जनपद न्यायालय आजमगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 8- जनपद न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड किये जानें हेतु नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को प्रेषित ।
- 9- नोडल अधिकारी कम्प्यूटर माननीय न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 10- प्रतिलिपि निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ०प्र० लखनऊ को सर्वाधिकार पसार वाले प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

दिनांक : फरवरी, 2021

भवदीय,

  
(रविश कुमार अत्री)

प्रभारी अधिकारी नजारत/

प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कोर्ट सं०-3, आजमगढ़ ।